(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी – स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–077 / 2024

रीटा पत्नी जयसिंह जाति जाट निवासी आसाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा।

– – वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बावत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 17.05.2024

वादी की ओर से श्री महेश कुमार गौड अधिवक्ता, प्रतिवादी की और से राजपैरोकार अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 17.05.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी एवम् प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब दावा मय पटवार हल्का खिनानियां रिपोर्ट के अनुसार वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जानें पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित भूमि चक नम्बर 2 ए बारानी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 209 / 42 में अंकित वादीया का नाम सुनीता पुत्री हंसराज जाति जा[illegible] किशनपुरा उतराधा के स्थान पर सही नाम रीटा पत्नी जयसिं[illegible]ड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा किया जाकर राजस्व अभिलेख को दु[illegible] किये जाने के आ[illegible]ये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा मे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.30 15:53:46 IST
Reason: SelfAttested

जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	——	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	——
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	——	अर्जी के लिये स्टाम्प	——
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	——	प्लीडर की फीस	——
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	——	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	——
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	——	आदेशिका की तामिल	——
कमिश्नर की फीस	——	कमिश्नर की फीस	——
आदेशिका की तामिल	——		
योग	——	योग	——

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.05.30 15:53:46 IST
Reason: SelfAttested